न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 29/2015 (2015/00005) जिला–अजमेर

1. मक्खन लाल पुत्र श्री हजारी (हजारी पुत्र श्री राजू) (राजू पुत्र श्री चौथू)
2. रामस्वरूप पुत्र श्री हजारी
3. श्रीमती कमला पुत्री श्री हजारी
4. श्रीमती बसन्ती पुत्री श्री हजारी
   समस्त जाति भांबी निवासी पुष्कर, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुखपाल पुत्र श्री जीवण
2. जयकिशन पुत्र श्री जीवण
3. श्रीमती गीता पुत्री श्री जीवण
4. प्रेमलता पुत्री श्री पुष्कर नारायण (पुष्कर नारायण पुत्र श्री जीवण)
5. मनीष पुत्र श्री पुष्कर नारायण
6. हरिश पुत्र श्री पुष्कर नारायण
7. लोकेश पुत्र श्री पुष्कर नारयण
   समस्त जाति भांबी, निवासी बासनी, हाल निवासी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 28–04–2015
अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 26/2007
बउनवान मक्खनलाल बनाम सुखपाल व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 01–08–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजियात साबिक खसरा नम्बर 367 (अ) रकबा 0–16–00 बीघा किस्म बारानी–3 पुष्कर में स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 530 रकबा 0–15–0 किस्म बरानी–3 बने है। जमाबंदी एवं नामान्तरकरण संख्या 32 के कॉलम संख्या 5 के अनुसार अपीलार्थीगण के पूर्वज

श्री राजू पुत्र श्री चौथू भांबी की खातेदारी की आराजियात है। तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 4–9–1977 के कॉलम संख्या 11 में जीवण पुत्र चौथू 1/2 हिस्सा व प्रभु पुत्र श्री भैरू 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि विवादित आराजियात से इनका कोई संबंध नहीं है। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 4–9–1977 की अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की तो उनके द्वारा अपीलाथीगण की अपील अस्वीकार कर खारिज कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 04–09–1977 के विरूद्ध जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी राजू पुत्र श्री चौथू जाति भांबी के वारिसान है जिनकी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात साबिक खसरा नम्बर 367 (अ) रकबा 0–16–0 बीघा किस्म बारानी–3 पुष्कर में स्थित है जो चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019 लगायत 2022 एवं सम्वत 2023 लगायत 2026 से सिद्ध है। जिसके हाल खसरा नम्बर 530 रकबा 0–15–00 बीघा किस्म बारानी–2 बने है। उक्त आराजियात जमाबंदी एवं नामान्तरकरण संख्या 32 के कॉलम संख्या 5 के अनुसार अपीलार्थीगण के पूर्वज श्री राजू पुत्र श्री चौथू जाति भांबी की खातेदारी की आरजियात है। सजरा अनुसार चौथू के दो पुत्र क्रमश राजू व लूम्बा हुए। राजू के एक पुत्र हजारी हुआ जिसकी बेवा नाथी जो कि फौत हो चुकी है। हजारी के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां क्रमश मक्खन, रामस्वरूप, कमला बसन्ती हुए। उक्तानुसार रेकार्डेड खातेदार श्री राजू पुत्र श्री चौथू की विरासत अपीलार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम तस्दीक की जानी चाहिए थी। लेकिन नामान्तरकरण संख्या 32 के कॉलम संख्या 11 के अनुसार जीवण पुत्र चौथू 1/2 हिस्सा व प्रभु पुत्र श्री भैरू 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त श्री जीवण व श्री प्रभू का राजू पुत्र चौथू के परिवार से कोई संबंध नहीं है। बल्कि श्री जीवण पुत्र श्री राजू तथा प्रभु पुत्र श्री भैरू जो कि राजू पुत्र श्री रतना के वारिसान है जिनका विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। उक्त गलत नामान्तरकरण की आड में प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने एवं भूमि को रहन बेचान व मुंतकिल करने पर आमादा है। दिनांक 20–02–2007 को अपीलार्थीगण विवादित आराजियात में श्री राजू पुत्र श्री चौथू की विरासत उनके नाम होने पर बताया गया जिससे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जिला कलक्टर अजमेर ने अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कथन किया कि पक्षकार नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर दादरसी प्राप्त कर सकते है तथा सजरा भी प्रस्तुत नहीं करने का कथन करते हुए अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थीगण राजू पुत्र श्री रतना के वारिसान है जिनका विवादित आराजियात से कोई लेना देना नही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों को धोखा देकर अपीलार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि का गलत रूप से विरासती नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 32 के कॉलम संख्या 16 के अनुसार मृतक राजू के 2 जाईन्दा पुत्र जीवण व भैरू अंकित किये गये जबकि कॉलम संख्या 11 में जीवण को श्री चौथू का पुत्र अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण कूटरचित एवं रेकार्डेड खातेदार के वारिसान की पूर्ण जांच किये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज ने गलत रूप से तस्दीक करवाया है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा लैण्ड रेकार्ड रूल्स 119 लगायत 121 की कोई पालना नहीं किया जाना भी स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नगर पालिका पुष्कर द्वारा जारी अपीलार्थीगण के पूर्वज राजू पुत्र श्री चौथू तथा जीवण व भैरू पुत्रान श्री चौथू का सजरा एवं चौसाला जमाबंदी तथा मृत्यु प्रमाण पत्र राजू पुत्र चौथू, हजारी लाल पुत्र राजू, नाथी देवी पत्नी हजारी इत्यादि समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के नजर अन्दाज कर अपने निर्णय में सजरा प्रस्तुत नहीं किया जाना अंकित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–4–2015 तथा तहसीलदार, अजमेर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 4–9–1977 निरस्त किया जाकर कॉलम संख्या 5 में अंकित रेकार्डेड खातेदार श्री राजू पुत्र श्री चौथू की विवादित आराजियात अपीलार्थीगण के नाम विरासती नामान्तरकरण तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की सुनी एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात साबिक खसरा नम्बर 367 (अ) रकबा 0–16–00 बीघा किस्म बारानी–3 पुष्कर में स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 530 रकबा 0–15–0 किस्म बरानी–3 बने है जिसके मूल खातेदार चौथू थे। सजरा अनुसार चौथू के दो पुत्र क्रमश राजू व लूम्बा हुए। राजू के एक पुत्र हजारी हुआ जिसकी बेवा नाथी जो कि फौत हो चुकी है। हजारी के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां क्रमश मक्खन, रामस्वरूप, कमला बसन्ती अपीलार्थीगण संख्या 1 से 4 हुए। विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार श्री राजू पुत्र श्री चौथू की विरासत अपीलार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम तस्दीक की जानी चाहिए थी। लेकिन नामान्तरकरण संख्या 32 के कॉलम संख्या 11 के अनुसार जीवण पुत्र चौथू 1/2 हिस्सा व प्रभु पुत्र श्री भैरू 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। विरासती

नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व विधिक वारिसानों की जांच किया जाना अपेक्षित है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 4–9–1977 के कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का पुष्कर द्वारा उल्लेख किया गया है कि ''राजू का स्वर्गवास हो गया है एवं उसके जयन्दा दो पुत्र जीवण, भैरू इनमें से भैरू का भी स्वर्गवास हो गया है। अतः जीवण व भैरू के हक की जायन्दा पुत्र प्रभु के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर वास्ते स्वीकृति हेतु सेवा में पेश है।'' पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण के उक्त कॉलम में राजू के पिता का नाम अंकित नहीं किया गया तथा न ही राजू की मृत्यु कब हुई का ही अंकन किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 एवं 2023 से 2026 मे विवादित आराजियात खसरा नम्बर 367 (अ) रकबा 0–16–0 बारानी–3 जिसके हाल खसरा नम्बर 530 रकबा 0–15–0 बीघा किस्म बरानी–3 मे राजू वल्द चौथू कौम भांबी सा0देह खातेदार का अंकन है। विरासती नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों की जांच की जानी चाहिए। साथ ही एक ही नाम के दो व्यक्ति हो सकते है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। पटवारी हलका द्वारा जिस राजू के स्वर्गवास होने का उल्लेख किया है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 4–9–1977 सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो अवलोकन व अध्ययन किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–4–2015 पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–4–2015 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 26/2007 मक्खनलाल बनाम सुखपाल व अन्य त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, पुष्कर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरकरण संख्या 32 के कॉलम संख्या 5 में अंकित रेकार्डेड खातेदार श्री राजू पुत्र चौथू की विवादित आराजियात पर कब्जे की जांच कर राजू पुत्र चौथू के विधिक वारिसानों की जांचकर पटवारी हलका से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर विवादित आराजियात संबंधित समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर